महोबा पुलिस

दिनांक- 12.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1014/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 12.11.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ



दिनांक- 12.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1015/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने

03 नफर वाछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पजींकृत मु0अ0सं0 188/26 धारा 109(1), 115(2), 117(2), 352, 191(2), 191(3), 3(5) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 12.11.2026 को थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. हरिहर उर्फ हरिओम पुत्र बाबूराम उम्र करीब 30 वर्ष, 2. राजू उर्फ कजरा पुत्र बाबूराम उम्र करीब 40 वर्ष एवं 3. सीताराम पुत्र बाबूराम उम्र करीब 46 वर्ष निवासीगण ग्राम पवा, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा को बिन्नेका पहाड़ी जाने वाले मार्ग पर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. हरिहर उर्फ हरिओम पुत्र बाबूराम उम्र करीब 30 वर्ष
2. राजू उर्फ कजरा पुत्र बाबूराम उम्र करीब 40 वर्ष
3. सीताराम पुत्र बाबूराम उम्र करीब 46 वर्ष

 निवासीगण ग्राम पवा, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित
2. हे0का0 हंसराज
3. का0 सिकन्दर
4. का0 धर्मेन्द्र
5. कां0 अभिषेक यादव



दिनांक- 12.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1016/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने एक वारंटी व पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त सहित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग अभियोगों में एक वारंटी अभियुक्त सहित एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 12.11.2026 को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 297/2026 धारा 401 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त सुमित पुत्र रामदास सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी पस्तौर गली, मोहल्ला गांधी नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 525/2026 धारा 74/351(3) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राकेश कुमार धुरिया उर्फ रिंकू धुरिया पुत्र रमेश धुरिया उम्र करीब 41 वर्ष निवासी मोहल्ला छिपियानापुरा, चकोटा देवी मंदिर के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को रामकुण्ड गौशाला के पास, मोहल्ला नयापुरा बन्धानवार्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सुमित पुत्र रामदास सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी पस्तौर गली, मोहल्ला गांधी नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा। (वारंटी अभियुक्त)
2. राकेश कुमार धुरिया उर्फ रिंकू धुरिया पुत्र रमेश धुरिया उम्र करीब 41 वर्ष निवासी मोहल्ला छिपियानापुरा, चकोटा देवी मंदिर के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा। (वांछित अभियुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमें-

प्रथम टीम:

1.उ0नि0 पवन गौड़

2.का0 शिवनारायण

द्वितीय टीम:

1.उ0नि0 हर्षित मिश्रा

2.हे0 कां0 मनीष कुमार



